न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–557 सन् 2026

CNRNo.UPSN01–001710–2026

सौरभ तिवारी उर्फ रवि बालिग पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी निवासी झौवा, थाना औराई, जनपद भदोही। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–322 सन् 2024
धारा–406 एवं 420 भा०द० सं०
थाना–औराई, जनपद–भदोही।

आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ तिवारी उर्फ रवि की ओर से प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–322 सन् 2024, धारा– 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना औराई, जनपद भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी सौरभ पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही को तहरीर इस आशय की प्रस्तुत किया कि वह ग्राम झौवा, थाना औराई जिला भदोही का रहने वाला है। अभियुक्त सौरभ तिवारी पुत्र चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी निवासी झौवा, थाना औराई, जिला भदोही, वादी के गाँव का रहने वाला है। उक्त सौरभ तिवारी वादी के गाँव का होने के नाते उसका उठना–बैठना वादी के यहां होने लगा। सौरभ तिवारी, वादी व वादी के माता पिता तथा रिश्तेदारों को यह विश्वास दिलाया कि वे लोग सौरभ तिवारी के यहां पैसा जमा करें, वह उस पैसे को शेयर मार्केटिंग में लगायेगा और वादी व वादी के माता पिता तथा रिश्तेदारों से जो पैसा लेगा, उस पैसे को शेयर मार्केटिंग में लगाकर उससे वादी व वादी के माता पिता तथा रिश्तेदारों को दोगुना–तिगुना धनराशि दिलवायेगा। वादी व वादी के माता पिता तथा रिश्तेदार, सौरभ तिवारी की बातों पर विश्वास कर लिये और वादी ने अपने पिता अखिलेश कुमार पाण्डेय के यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा चित्रसेनपुर कछवा रोड, जिला वाराणसी के खाते से निम्न धनराशि भिन्न–भिन्न तारीखों को अभियुक्त सौरभ तिवारी के खाते में भेजा:– 1– दिनांक 21.02.2024 को मु0 90,000/– रूपया, 2– दिनांक 23.02.2024 को मु0 9,000/– रूपया, 3– दिनांक 28.02.2024 को मु0 99,000/–रूपया, 4–दिनांक 01.03.2024 को मु0 1,00,000/– रूपया, 5–दिनांक 02.03.2024 को मु० 12,000 /– रूपया, 6– दिनांक 14.03.2024 को मु0 5,000/– रूपया, 7– दिनांक 14.03.2024 को मु0 20,000/– रूपया, 8– दिनांक 16.03.2024 को मु0 500/– रूपया 9– दिनांक 18.03.2024 को मु0 1000/– रूपया, 10– दिनांक 06.04.2024 को मु0 40,500/रूपया, 11– दिनांक 08.04.2024 को मु0 7000 /– रूपया। उपरोक्त धनराशि के अलावा वादी ने सौरभ तिवारी को निम्न धनराशि भिन्न–भिन्न तारीखों पर दिनांक 01.02.2024 को मु0 81,000/– रूपया व दिनांक 01.03.2024 को मु0 2,20,000/–रूपया व दिनांक 03.03.2024 को मु0 1,30,000/– रूपया व दिनांक 08.04.2024 को मु0 1,20,000/–

रूपया नगद अदा किया। इस प्रकार कुल मु0 5,51,000/– रूपया नकद धनराशि व मु0 3,84,000/–रूपया वादी ने अपने पिता के बैंक खाते से अभियुक्त सौरभ तिवारी को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वादी ने अपने मित्र अजय कुमार तिवारी के खाते से मु० 47,000/– रूपया सौरभ तिवारी के खाते में ट्रान्सफर किया और वादी, चाचा सुशील कुमार पाण्डेय के खाते से मु0 20,000/– रूपया अभियुक्त सौरभ तिवारी के खाते में ट्रान्सफर कराया। इस प्रकार अभियुक्त सौरभ तिवारी ने प्रार्थी से कुल धनराशि मु0 10,02,000/–रूपया प्राप्त किया। उक्त सौरभ तिवारी ने वादी से लिया गया मु0 10,02,000/– रूपया धनराशि को शेयर मार्केट में लगाने और उससे वादी को दोगुना–तिगुना धनराशि अदा करने का विश्वास दिलाया, लेकिन कोई भी धनराशि सौरभ तिवारी ने वादी या वादी के पिता के खाते में ट्रान्सफर नही किया, और दिनांक 19.04.2024 को अभियुक्त सौरभ तिवारी के यहा लड़की की शादी थी, शादी बीतने के बाद दिनांक 20.04.2024 को वादी ने अभियुक्त सौरभ तिवारी से मुलाकात करने उसके घर गया तो उसके पिता ने कहा कि सौरभ तिवारी बनारस गया है, फिर वादी दिनांक 21.04.2024 को अभियुक्त सौरभ तिवारी से मुलाकात करने गया तो अभियुक्त सौरभ तिवारी के पिता चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी ने वादी से कहा कि वह बनारस गया है, अभी लौट कर नही आया है और उसी दिन दिनांक 21.04.2024 को अभियुक्त सौरभ तिवारी के घर, वादी के गाँव के कुछ लोग व बगल गाँव के कुछ लोग आये थे और कछवा के भी कुछ लोग आये थे, उनसे वादी की मुलाकात हुई तो उन लोगो ने भी बताया कि उनसे भी यही कह करके अभियुक्त सौरभ तिवारी ने पैसा लिया और मोबाइल फोन से बात करने पर उसका मोबाइल बन्द बता रहा है। इस प्रकार अभियुक्त सौरभ तिवारी ने वादी को फायदा पहुंचाने के नाम पर कुल मु0 1002000/– रूपया लिया और उस रूपया को लेकर हड़प लिया और इस कार्य में अभियुक्त सौरभ तिवारी के पिता चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी की भी सहभागिता रही है। दोनो ने मिलकर वादी के साथ धोखाधड़ी किया। इसी तरह से अभियुक्त सौरभ तिवारी के पिता चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी ने अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी करके लाखों करोड़ों रूपया हड़प लिया है और धोखाधड़ी व ठगी का काम किया है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण सौरभ तिवारी व चन्द्रशेखर तिवारी उर्फ बाबा तिवारी के विरूद्ध धारा 120–B, 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना व साक्ष्य संकलन से वादी मुकदमा से धोखाधड़ी करके अभियुक्त सौरभ तिवारी द्वारा बैंक ट्रान्जैक्शन के आधार पर 4,18,200 रूपया तथा नकद 5,51,000/–रूपया ले लेना व उपरोक्त रूपया वादी मुकदमा को वापस न करना, साबित करते हुए अभियुक्त सौरभ तिवारी के विरूद्ध धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने आधार अग्रिम जमानत व उसके विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे मुकदमें में रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। तथाकथित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाना औराई भदोही में लगभग 8 माह 15 दिन विलंब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। असलियत यह है कि वादी के पिता अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रार्थी/अभियुक्त के व उसके पिता चन्द्रशेखर तिवारी से नकद रूपया प्राप्त किया गया था, जिसकी जरूरत होने पर उनसे वापस मांगा गया तो उनके द्वारा अलग–अलग तिथियों पर नकद लिये गये रूपये को ऑनलाइन के माध्यम से लौटाया गया। शेष बकाया धनराशि की मांग करने पर दबाव देने के उद्देश्य से प्रस्तुत मुकदमा कायम कराया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी अथवा उसके माता पिता रिश्तेदार अथवा मित्र, जान पहचान वालों से कभी भी शेयर मार्केट में रूपये लगाने की न कोई वार्ता की, न ही उसके मद से रूपये ही प्राप्त किये। वादी मुकदमा के द्वारा जो सोशल मीडिया की वार्ता का जिक्र करते हुए कागजात पुलिस विवेचक के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, वह कत्तई विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी सक्षम न्यायालय से किसी अपराध में दोष सिद्ध ही किया गया है। मुकदमा अपराध की सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सभी धाराओं में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा वादी व उसके माता पिता, रिश्तेदार को विश्वास में लेकर शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाकर उस पैसे से दोगुना–तिगुना धनराशि दिलाये जाने के नाम पर वादी व उसके पिता के खाते से व नकद भिन्न–भिन्न तारीखों में कुल मु0 10,02,000/–रूपया छल से प्राप्त करने व उक्त रूपयों को वापस न करके आपराधिक न्यास भंग किया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा, उसके माता पिता एवं रिश्तेदार को शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाने तथा उस पैसे से दोगुना–तिगुना धनराशि वापस करने का विश्वास दिलाकर भिन्न–भिन्न तारीखों में बैंक ट्रान्जैक्शन से 4,18,200/–रूपये तथा नकद 5,51000 रूपये, कुल मु0 10,02,000/–रूपया छल से प्राप्त कर उक्त रूपयों को वापस न करके आपराधिक न्यास भंग करने का आरोप है।

7. पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से पक्षों के बीच में शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाने के नाम पर रूपये का लेन–देन होना दर्शित है। विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 406 एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त को विवेचक द्वारा गिरफ्तार करने की आवश्यकता भी नहीं

समझी गयी है। पत्रावली पर इस आशय का साक्ष्य नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में कोई असहयोग किया गया हो। मामले में सभी धाराएं अधिकतम सात वर्ष तक के सजा से प्राविधानित है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त– सौरभ तिवारी उर्फ रवि को मु0 50,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर मामले के विचारण तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1. अभियुक्त मुकदमें के विचारण में सहयोग करेगा ।
2. अभियुक्त आरोप विरचन के समय एवं धारा 351 बी.एन.एस.एस. का बयान लेखबद्ध किए जाने के समय न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
3. साक्ष्य के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
4. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/छेड़छाड़ नहीं करेगा।

दिनांक–29.05.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code No. UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.05.29 14:23:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court